की जावेगी।

श्रीमान P.O. सहाब के अवकाश होने के
कारण आज दिनांक 10.7.2016 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 5.12.2016 को
की जावेगी।

10.7.2016

श्रीमान P.O. साहब का कार्य स्थानांतरण होने के
कारण आज दिनांक 5.12.16 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 12.1.17 को
की जावेगी।

5.12.16

12/1/17 वकील फरीकैन उपस्थित। वकील मौ. प्रार्थना
बयानात आज तक पेश नहीं किया है। अतः
उक्त मुकदमात की पेशी मुकर्रर फरमाँ
24/1/17 को वास्ते बयान लिखित फरमाँ
24/1/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

24/1/17 वकील फरीकैन उपस्थित। बयान हेतु न्याय
दिवस में एक माह का समय दिया जाता। मुकदमात वास्ते
बयान लिखित फरमाँ 31/1/17 को पेश हो।
अतः दिनांक 31/1/17 को वकील प्रार्थी
द्वारा बयान नहीं वास्ते पेश करने। प्रार्थी
को NOTE PRESS किया जाता। प्रार्थी NOTE
PRESS में खारिज किया जाता है। मुकदमात फैसल
शुमार रजिस्टर राजस्व के करके। खारिज करीब
रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Not press
24/1/2017